UPBS120005512020

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 459/2020

सत्यनरायन नायक बनाम कृष्ण मुरारी उर्फ पाडे

11.08.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 45 क [2] पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 45 क [2] प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादी ने विवादित रास्ता प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र अ,ब,स,द के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दाखिल किया है, जिसमें वादी द्वारा दाखिल अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र दिनांक 18.11.2020 को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी को आदेशित किया गया कि वह विवादित रास्ते में कोई अवरोध पैदा न करे। उक्त आदेश की जानकारी होने के बाद भी प्रतिवादी, वादी का रास्ता अवरूद्ध करने की नीयत से अंगद के मकान के दक्षिण पश्चिम कोन पर 2 फिट लम्बा और 2 फिट उंची दीवाल बना कर और रास्ते में 6 ट्राली मिट्टी डाल दिया है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्माण के सम्बन्ध में वादपत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति 43 ग 2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र में दिए गए आधार पूर्णतः असत्य हैं तथा प्रस्तावित संशोधन आफ्टर थाट है, जो वाद दाखिला के पूर्व से ही था। वाद दाखिला के पूर्व की स्थिति वर्तमान समय में भी है। उपरोक्त प्रार्थनापत्र के स्वीकार होने से वाद की प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी। संशोधन प्रार्थनापत्र मात्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र के निस्तारण को विलम्बित करने हेतु दिया गया है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 45 क [2] प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी द्वारा दौरान वाद विवादित भूमि में किए गए अवैध निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक अभिवचन एवं उपचार वादपत्र में समावेशित किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही कोई नया केस संस्थित होगा। जहां तक प्रतिवादी द्वारा उठायी गयी आपत्ति का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र 45 क [2] न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 45 क [2] मु० 200/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना अतिरिक्त वादोत्तर नियत तिथि तक दाखिल करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/वादबिन्दु दिनांक 23.08.2021 को पेश हो। टी०आई० नियत तिथि तक स्वीकृत।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।